राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–418/2025

सत्यनारायण तिवारी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजाराम जाजड़ा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड समन्वयक (साक्षरता) के पद पर कार्यालय, मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सुवाना, भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अग्रपुरा, सुवाना में अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक समन्वयक (साक्षरता) के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अगरपुरा, ब्लॉक सुवाना जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.01.2025 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अध्यापक ग्रेड–III को ब्लॉक समन्वयक के पद पर पदस्थापित करने के संबंध में नीति निर्धारण की जाकर ऐसे अध्यापकों को जो ब्लॉक समन्वयक के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हें कार्यमुक्त किये जावे। ताकि सहसयोजन के साथ सलग्न सूची के अनुसार ब्लॉक समन्वयक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया जा सके। इस संबंध में विभिन्न पत्र (अनुलग्नक–8) भी

जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के विपरीत दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–1) को एक आदेश जारी किया जिसके साथ एक सूची भी संलग्न की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम व उसका पदस्थापन स्थान को परिवर्तित करते हुए उल्लेखित नहीं किया गया है, परन्तु निजी प्रत्यर्थी संख्या 13 का नाम जोकि उक्त आदेश/सूची में क्रम संख्या 95 पर अंकित है, उसे ब्लॉक सुवाना जिला भीलवाडा में पदस्थापित किया गया है, जहां पर पूर्व से ही ब्लॉक समन्वयक के रूप में कार्यरत है। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक अन्य आदेश दिनांक 30.01.2025 जारी कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 13 (आदेश के क्रम संख्या 1 पर अंकित) को पूर्व पदस्थापन स्थान से तुरन्त कार्यमुक्त कर पालना में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किये गये। उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्बंधित शिक्षक उसी ब्लॉक का होना चाहिए और उसे कम्प्यूटर का ज्ञान हो। उक्त शर्तें निजी प्रत्यर्थी संख्या 13 पूर्ण नहीं करता है जबकि अपीलार्थी उक्त योग्यताऐं/शर्तें पूर्ण करता है (अनुलग्नक–1) तथा अपीलार्थी एक विकलांग कार्मिक है। प्रत्यर्थी संख्या 13 के पास न तो कम्प्यूटर ज्ञान की योग्यता है और न ही वह सम्बंधित ब्लॉक का शिक्षक भी नहीं है और वहां अपनी सेवाऐं भी नहीं दी हैं। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 17.01.2025 एवं 30.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) जोकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 13 के पदस्थापन से सम्बंधित हैं को अपास्त फरमाया जावे। इसी क्रम में समान प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 4359/2024 घनेन्द्र कुमार राजोरिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.01.2025 (अनुलग्नक–9) के समान है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड समन्वयक (साक्षरता) के पद पर कार्यालय, मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सुवाना, भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अगरपुरा, सुवाणा में अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक समन्वयक (साक्षरता) के पद पर ब्लॉक सुवाणा जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा पूर्व

आदेश दिनांक 07.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक समन्वयक (साक्षरता) के पद पर ब्लॉक आसींद जिला भीलवाड़ा में लगाये जाने के आदेश को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याहारित किया गया एवं इस आदेश में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मूल पद पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है की किसी आदेश को प्रत्याहारित कर प्रभावहीन करे, जिसके लिए वह सक्षम है। चुंकि जिस आदेश के तहत अपीलार्थी को उक्त पद पर पदस्थापन हेतु निर्देशित किया गया था वह आदेश प्रत्याहारित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी वहां कार्यरत रहने का अधिकार नहीं रखता है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 07.12.2022 को प्रत्याहारित करने का प्रश्न है, इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

6. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम और साक्षरता सतत् शिक्षा विभाग
7. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लेखा अधिकारी, महात्मा गांधी एनआरईजीएस, सिरोही में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद्, सिरोही से जिला परिषद्, जालौर में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश के 11 माह बाद ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का बार–बार स्थानान्तरण के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसे कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे। तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में दिशा–निर्देश एवं नीति का सख्ती से पालन करे।